भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1558

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू खनन

1558. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश में अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार होने के बावजूद, भारत महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है जिससे औद्योगिक और ऊर्जा सुरक्षा को खतरा है;
(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(घ) किस प्रकार यह देश को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में अपनी नीतियों, विनियमों और निवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाएगा है;
(ङ) क्या घरेलू खदानों में इसका उत्पादन शुरू हो गया है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है; और
(छ) यदि नहीं, तो घरेलू खदानों में इसका उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): खनिजों की महत्ता आर्थिक महत्ता के अलावा उनके आयात पर निर्भरता के कारण भी है। देश में अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार और उत्पादन शून्य या सीमित हैं, जिसके कारण उनमें पूर्ण या आंशिक आयात निर्भरता है। तथापि, देश की औद्योगिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र बहुत व्यापक है और महत्वपूर्ण खनिजों से भिन्न अन्य कच्चे माल और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करता है, जिसमें भारत आत्मनिर्भर है या इसकी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, सौर और पवन

जैसी ऊर्जा संक्रमण प्रणालियों में महत्वपूर्ण खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी: अब तक 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इसके अलावा, नीलामी में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- खान मंत्रालय के तत्वावधान में, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केबीआईएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है।
- सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहित क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं के भाग के रूप में, 25 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है ताकि देश में इनकी सहज निकासी हो सके और घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहन मिले।
- पुनर्चक्रण के माध्यम से गौण स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है।
- खान मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) कार्यक्रम के अंतर्गत, नवंबर 2023 में प्रिज्म (स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) नामक एक घटक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को वित्तपोषित करना तथा अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच की खाई को पाटना है। वर्ष 2024-25 (28.11.2024 तक) के दौरान, महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास और प्रिज्म की 11 परियोजनाओं को कुल 5.79 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ): जी, हां। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए 13.11.2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर

हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पक्षकारों की विशेषज्ञता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों पर आपसी सहमति से चिह्नित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। अपने व्यापक शोध और विश्लेषण के साथ, आईईए भारत को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में विश्वसनीय डेटा, विश्लेषण और नीति सिफारिशों तक पहुंच प्रदान कर सकता है और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान कर सकता है। यह सहयोग भारत को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में अंतराल की पहचान करके, निवेश प्राथमिकताओं को अनुकूलित करके और वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ संरेखित करके अपनी नीतियों, विनियमों और निवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।

(ङ), (च) और (छ): घरेलू खानों में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन हो रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:

महत्वपूर्ण खनिज	**राज्य**	**उत्पादन मात्रा 2023-24 (टन)**
ग्रेफाइट	छत्तीसगढ	1,007
	झारखंड	20,756
	ओडिशा	68,054
	तमिलनाडु	79,263
फॉस्फोराइट	मध्य प्रदेश	2,36,964
	राजस्थान	13,20,819
टिन सांद्र	छत्तीसगढ	22

इसके अलावा, 49 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉक नीलाम किए गए हैं (जिनमें केंद्र सरकार के 24 ब्लॉक शामिल हैं)। नीलाम किए गए ब्लॉकों के प्रचालन की समय-सीमा खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत लागू नियमों के अनुसार है।
